उत्तर प्रदेश भूराजस्व (सर्वेक्षण और अभिलेखा क्रिया) नियमावली 1978

---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश भूराजस्व (सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया) नियमावली, 1978" कही जायेगी ।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

टीका—गजट में प्रकाशित होने का दिनांक 22-7-1978 है । यह नियमावली गजट भाग 1 क के पृष्ठ 1861 के 1889 तक में मुद्रित हुई ।

2. परिभाषायें—इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901 से है,

(ख) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न एक या किन्ही अधिक प्रपत्रों से है,

(ग) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है,

(घ) इस नियमावली में प्रयुक्त और अधिनियम में परिभाषित या प्रयुक्त शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं,

3. मानचित्रों के सामान्य शोधन और अभिलेखों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित क्रियायें या तो बन्दोबस्त क्रियाओं के प्रारम्भिक कार्य के रूप में या प्रशासनिक उपाय के रूप में की जा सकती हैं ।

4 (1) किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जहाँ मानचित्रों और अधिकार अभिलेख का पुनरीक्षण करना आवश्यक समझा जाय, वहाँ कलेक्टर अन्वेषण करायेगा और ऐसे क्षेत्र में भूअभिलेख की स्थिति से सम्बन्धित सूचना का संग्रह सर्वेक्षण प्रपत्र एक में करायेगा ।

(2) जहाँ सर्वेक्षण प्रपत्र एक में प्रविष्ट खेत, खेतों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हों, वहाँ मानचित्र और अधिकार अभिलेख का पुनरीक्षण करने के औचित्य की परीक्षा करने की दृष्टि से अभिलेखों की स्थिति के सम्बन्ध में अग्रेतर जाँच की जा सकती है ।

(3) जहाँ उपनियम (1) और (2) के अधीन किये गये अन्वेषण और जाँच के आधार पर कलेक्टर की राय हो कि किसी भी ग्राम के मानचित्र और अभिलेख का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए वहाँ वह ऐसे ग्रामों को और अभिलेखों की स्थिति से सम्बन्धित सूचना को सर्वेक्षण प्रपत्र दो में प्रविष्ट कराएगा ।

(4) तत्पचात् कलेक्टर मानचित्रों और अभिलेखों की स्थिति के बारे में सविस्तार रिपोर्ट और सर्वेक्षण प्रपत्र दो में दी गई सूचना परिषद् को भेजेगा ।

5. (1) परिषद् नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या स्वप्रेरणा से, कलेक्टर के प्रस्ताव की परीक्षा करने या मानचित्र और अभिलेख की स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए सामग्री संग्रह करने के निमित्त अग्रेतर अनुदेश देने के लिए किसी जिले में सहायक-भू-अभिलेख निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने की व्यवस्था कर सकती है।

(2) इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी स्थानीय निरीक्षण करेगा और विशेषतया पुनः सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की संवीक्षा करेगा। वह परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें वह, यदि आवश्यक हो, उस क्रम का भी सुझाव देगा जिसमें मानचित्रों और अभिलेखों के पुनरीक्षण के लिए जिले के परगनों को लिया जाना चाहिए।

6. नियम 4 या नियम 5 के अधीन रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाने पर परिषद् धारा 48 के अधीन अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज सकती है।

7. परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार समझती है कि किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र में अभिलेख का सामान्य या आंशिक पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण या दोनों किया जाना चाहिए तो वह सर्वेक्षण प्रपत्र तीन में धारा 48 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, नियमित लेखपाल की अभिरक्षा से राजस्व अभिलेख सर्वेक्षण लेखपाल को अन्तरित कर दिए जायेंगे।

सीमा विवाद

8. (1) ग्राम के मानचित्र का शोधन या सर्वेक्षण कार्य वस्तुतः प्रारम्भ करने के पूर्व, आसन्नवर्ती ग्रामों (कन्टिग्यूअस विलेजेज) की सीमा का मिलान किया जाना चाहिए और यदि सीमा में कोई अतिछादान (ओवर लैपिंग) या अन्तराल (गैप) हो तो सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा ग्रामों के मानचित्रों से सुसंगत भागों का अनुरेखण (ट्रेसिंग) किया जाना चाहिए और इस मामले को विनिश्चय के लिए सर्वेक्षण नायब तहसीलदार के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए। यदि कोई आसन्नवर्ती ग्राम अभिलेख क्रिया के अधीन न हो तो भी इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

(2) सर्वेक्षण नायब तहसीलदार विवाद में अन्तर्ग्रस्त ग्रामों के प्रधानों, भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों और सामान्य जनता को भी पर्याप्त सूचना देने के पश्चात् मौके पर जाँच करेगा और अपनी रिपोर्ट सहायक अभिलेख अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) सहायक अभिलेख अधिकारी कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् मौके पर उपनियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में जाँच करेगा और सम्बद्ध ग्रामों के मानचित्र का पुनरीक्षण करने के लिए उपयुक्त आदेश देगा।

मानचित्र शोधन

9. (1) सर्वेक्षण या अभिलेख क्रिया के अधीन किसी क्षेत्र के ग्राम मानचित्र का पुनरीक्षण या तो—

(एक) मानचित्र शोधन की साधारण रीति से, या

(दो) सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण द्वारा, किया जा सकता है।

(2) सहायक अभिलेख अधिकारी मानचित्रों की स्थिति की परीक्षा करने के पश्चात् विनिश्चय करेगा कि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट दो रीतियों में से किस रीति को अपनाया जाना [illegible]।

10. सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण द्वारा मानचित्र का पुनरीक्षण करने के लिए "रुल्स एण्ड इन्सट्रक्शन फार सर्वे ऑफ विलेजेज नामक पुस्तक में दिये गये अनुदेशों का पालन किया जाएगा, प्रारम्भ में कार्य सर्वेक्षण लेखपाल की सहायता से सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा किया जायगा।

11. जहाँ मानचित्र का शोधन साधारण रीति से किया जाना हो, वहाँ इसे सर्वेक्षण लेखपाल की सहायता से सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा किया जायगा और निम्नलिखित प्रक्रिया का, यथा सम्भव अनुसरण किया जायगा—

(क) शोधन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मानचित्र उस मानचित्र की अनुरेखण-वस्त्र (ट्रेसिंग-क्लाथ) प्रतिलिपि होगा जो या तो उस समय, जब पिछली बार ग्राम का सर्वेक्षण किया गया था या मानचित्रों और अभिलेखों के पिछले पुनरीक्षण के समय शोधन द्वारा, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो तैयार किया गया हो,

(ख) सर्वेक्षण कानूनगो प्रथमतः यह मालूम करने के लिए ग्राम की सीमाओं पर जाकर देखेगा कि समस्त तिराहे और अन्य सीमा चिन्ह उचित स्थान/स्थानों पर अवस्थित हैं या नहीं और उन्हें मानचित्र में ठीक से दिखाया गया या नहीं, और मानचित्र में दिखायी गयी सीमा वस्तुतः मौके की स्थिति से मिलती-जुलती है या नहीं। यदि इसमें कोई अन्तर मालूम पड़े तो वह उसकी रिपोर्ट सर्वेक्षण नायब तहसीलदार को करेगा जो पड़ौसी ग्रामों के मानचित्रों की सहायता से स्थिति की परीक्षा करेगा और धारा 50 के अधीन तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसकी रिपोर्ट सहायक अभिलेख अधिकारी को करेगा। सहायक अभिलेख अधिकारी तत्पश्चात् नियम 8 (3) के अनुसार मामले का विनिश्चय करेगा।

(ग) सर्वेक्षण कानूनगो प्रत्येक पत्रक (शीट) पर अलग-अलग कार्य करेगा और उनका शोधन-कार्य उत्तर-पश्चिम कोण से प्रारम्भ करेगा।

(घ) सर्वेक्षण कानूनगो समस्त गाटों की सीमा का माप करेगा और उन्हें सर्वेक्षण प्रपत्र चार में, क्षेत्र पंजी (फील्ड बुक) में अभिलिखित करेगा। माप किसी माप-छड़ (गट्ठा) द्वारा या जंजीर द्वारा या जंजीर और लम्ब कोण यंत्र का उपयोग करके, जहाँ आवश्यक हो, चतुर्भुज द्वारा आन्तरिक सर्वेक्षण करके किया जा सकता है।

(ङ) शोधन का कार्य ऐसे सुविधाजनक क्षेत्रों से प्रारम्भ किया जायगा जिनका मानचित्र में दर्शित आकार-प्रकार मौके पर स्थल के आकार से मिलता हो। जहाँ मानचित्र में दिया गया माप और भूमि पर किये गये माप में अन्तर हो, यहाँ इस त्रुटि को, यदि कोई हो, आसन्न गाटों के सापेक्ष आकार और स्थिति में छेड़छाड़ किये बिना भू-खण्ड के गाटों में आनुपातिक रूप में वितरित करना आवश्यक होगा।

(च) एक गट्ठा (10 कड़ी) से कम के अन्तर के मामलों में जहाँ मानचित्र में आस-पास गाटों की सापेक्ष स्थिति स्थल की स्थिति से मिलती हुई प्रतीत हो, वहाँ वास्तविक रूप में कोई शोधन नहीं किया जायगा।

(छ) ऐसे कठिनाई के मामलों में जिसमें गाटों या गाटों के समूह को वर्तमान मानचित्र में सही-सही इस कारण नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि त्रुटि इतनी अधिक है कि मानचित्र में उसके वितरण से विभिन्न गाटों की सापेक्ष स्थिति की अनुपातहीनता का आभास हो जायगा या जो इस तथ्य के कारण हो सकती है कि खेत इतने सूक्ष्म रूप में विभाजित हैं कि मानचित्र में उनकी गाटाबन्दी करने से वह भद्दा या अस्पष्ट हो जायगा, अन्तर्ग्रस्त क्षेत्र का पृथक्-पृथक् गाटा

अंकन मानचित्र के पार्श्व में उसी पैमाने पर या किसी बड़े पैमाने पर, यदि आवश्यक हो, किया जाना चाहिए और इस प्रकार अंकित भाग को मुख्य मानचित्र में इस टिप्पणी के साथ जिसमें यह बताया जायगा कि उसे कहाँ देखा जा सकता है, रिक्त छोड़ दिया जाना चाहिए ।

(ज) नियमानुसार मानचित्र में, भूमि की केवल विद्यमान सीमाएँ ही दिखायी जायेंगी सर्वेक्षण कानूनगो कृषकों के निजी विभाजनों को, जहाँ कोई वास्तविक सीमा न हो, प्रविष्ट नहीं करेगा ।

(झ) वस्तुओं की उनके चिह्नों सहित सूची जिससे वे उस ग्राम के मानचित्र में चिह्नित किये जायेंगे जहाँ ऐसी वस्तुएँ हों, सर्वेक्षण प्रपत्र पाँच में दी गई है । सड़कों, पक्के कुओं, नहरों, पूल आदि जैसी वस्तुओं को वास्तविक माप के पश्चात् चिह्नित किया जायगा, जबकि कच्चे कुएं, वृक्ष, आबादी आदि को मानचित्र में उनके समुचित स्थानों पर दिखाया जायगा ।

(ञ) सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा मानचित्र में शोधन प्रथमत: पेंसिल से किया जायगा । सर्वेक्षण नायब तहसीलदार 25% शोधित गाटों की जाँच करेगा और इसका ध्यान रखेगा कि जाँच का विस्तार ग्राम के सम्पूर्ण क्षेत्र में हो जाय । सहायक अभिलेख अधिकारी भी मानचित्र में किये गये शोधनों की यथार्थता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक ग्राम में कुछ शोधित गाटों की जाँच करेगा । सर्वेक्षण नायब तहसीलदार और सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा जाँच किये जाने के पश्चात् शोधनों को स्याही से चिन्हित किया जायगा ।

12. जहाँ पुन: सर्वेक्षण या साधारण रीति से मानचित्र का पुनरीक्षण किये जाने के दौरान यह पाया जाय कि अधिकार अभिलेख में प्रविष्ट किसी गाटे का क्षेत्र प्रथम-दृष्टया अशुद्ध है या दो गाटों के बीच कोई सीमा विवाद है, वहाँ उसे सर्वेक्षण प्रपत्र छ: में भूलों और विवादों की सूची में प्रविष्ट किया जायगा और उसका निस्तारण नियम 19 में निर्धारित रीति से किया जायगा ।

13. पुन: संख्यांकन—मानचित्र पुनरीक्षण के पश्चात् नव सर्वेक्षित या शोधित मानचित्र में समस्त गाटों का पुन: संख्यांकन सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा किया जायगा । नीचे निर्धारित प्रक्रिया का यथा-सम्भव अनुसरण किया जायगा—

(क) गाटों का पुन: संख्यांकन पत्रक (शीट) वार किया जायगा जहाँ किसी ग्राम के मानचित्र में एक से अधिक पत्रक हों ।

(ख) संख्याकन का कोई उत्तर-पश्चिम की ओर से प्रारम्भ होकर सामान्यतया पूर्व के भू-खण्डों में किया जायगा, फिर पश्चिम में ठीक नीचे के गाटों का संख्यांकन किया जायगा और इसी प्रकार अन्त में दक्षिण-पूर्व की ओर इस कार्य को समाप्त किया जायगा ।

(ग) जहाँ एक ही ग्राम में स्थित खेतों का गाटांकन (प्लाटेड) मानचित्र के पार्श्व में किया गया हो, वहाँ संख्यांकन उसी क्रम में किया जायगा जैसा मुख्य मानचित्र में किया गया हो,

(घ) कुदान संख्या को छोड़ देना चाहिए किन्तु यदि कोई कुदान संख्या है तो उसके सम्बन्ध में टिप्पणी मानचित्र के पार्श्व में लिख दी जायगी ।

(ङ) यदि गाटे पुन: संख्यांकन करने में किसी भूल के कारण छूट जायं तो उसे उसी क्रम में अंश (न्यूमरेटर) के रूप में उसे ग्राम के अन्तिम गाटा संख्या के पश्चात् वाली संख्या से संख्यांकित किया जायगा और आसन्न गाटे की संख्या को हर (डिनोमिनेटर) के रूप में संख्यांकित किया जायगा जिससे कि उसका आसानी से पता चल सके ।

(च) यदि किसी एक ग्राम के खेत या क्षेत्र दूसरे ग्राम की सीमा के भीतर हों तो पश्चातवर्ती ग्राम के मानचित्र में उनकी सही स्थिति दिखायी जायगी किन्तु उन्हें कोई संख्या नहीं दी जायगी। उनकी सीमा मोटी रेखा से चिह्नित की जायगी और उस ग्राम का नाम, जिससे उनका सम्बन्ध हो, उनके आर-पार लिखा जायगा।

(छ) ऐसे भू-मार्गों (ट्रैक्ट्स) की दशा में जिसमें इतने छोटे गाटे हों कि उनके भीतर उनकी संख्या नहीं आ सकती, वहाँ भू-खण्डों को मोटी रेखा से चिह्नित किया जायगा। प्रथम भू-खण्ड में 99 गाटा और बाद के प्रत्येक भू-खण्ड में 100 गाटा होंगे और भू-खण्ड की संख्या केन्द्र में, मोटे-मोटे अङ्कों में वृत्त में घेरकर इस प्रकार लिखी जायगी कि उससे खेत की सीमायें अस्पष्ट न हों। उत्तर-पश्चिम में प्रथम भू-खण्ड को शून्य से संख्यांकित किया जायगा और खेतों की संख्या 1 से 99 तक होगी, द्वितीय भूखंड को 1 से संख्यांकित किया जायेगा और उसके खेतों को 00, 01, 02, 03, 10.....99 से और तृतीया भू-खंड को 2 से संख्यांकित किया जायगा और इसी प्रकार आगे भी इस प्रकार यदि भू-खंड संख्या 2 में किसी खेत को 45 संख्यांकित किया जाता है तो उसकी पूर्ण संख्या 245 होगी जिसे समस्त राजस्व पत्रादि में प्रविष्ट किया जायगा। यदि भू-खंड के कुछ खेत पर्याप्त बड़े हों तो उनकी पूरी संख्या लिखी जायेगी।

(ज) पुनः संख्यांकन पहले पेंसिल से किया जायगा और सर्वेक्षण नायब तहसीलदार द्वारा पूर्णतया जाँच करने के पश्चाथ् ही उसे स्याही से किया जायगा।

14. क्षेत्रफल निकालना—

(1) ऐसे खेतों, भू-खंडों और ग्रामों के क्षेत्रफल की जिनका मानचित्र पुनरीक्षिण किया जाय, गणना निम्नलिखित रीति से की जायगी :—

(क) सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण द्वारा पुनरीक्षित मानचित्र की स्थिति क्षेत्र संचय (एरिया कोम्ब) द्वारा, और

(ख) साधारण रीति से पुनरीक्षित मानचित्र की स्थिति में नियमित चार कोने वाले गाटों के लिए चौमेड़ा पद्धति से और समस्त अन्य गाटों के लिये विकर्ण-पद्धति (डायगनलसिस्टम) द्वारा।

(2) किसी ग्राम का कुल क्षेत्रफल मालूम करने के लिए उसके विभिन्न गाटों का भू-खंडों का क्षेत्रफल सम्मिलित कर लिया जायगा।

15. फर्द मुताबिकत—पुनः संख्यांकन करने और क्षेत्रफल निकालने के पश्चात् तुरन्त सर्वेक्षण लेखपाल सर्वेक्षण प्रपत्र सात से पुरानी संख्याओं के क्रम में, पुरानी और नयी संख्याओं की तुलनात्मक सूची तैयार करेगा जिसे 'फर्द मुताबिकत' कहा जायगा।

16. खसरा मुताबिकत—सर्वेक्षण लेखपाल सर्वेक्षण प्रपत्र आठ में, नयी संख्याओं के क्रम में, नयी और पुरानी संख्याओं की भी तुलनात्मक सूची तैयार करेगा जिसे 'खसरा मुताबिकत' कहा जायगा।

17. फर्द मुताबिकत और खसरा मुताबिकत के पृष्ठों का योग और ग्राम योग की शत-प्रतिशत जांच सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा की जायेगी। सर्वेक्षण नायब तहसीलदार 25 प्रतिशत नये गाटों की प्रविष्टियों की भी जांच करेगा और सुसंगत अभिलेखों से उनका सत्यापन करेगा।

18. परीक्षण, सत्यापन और पड़ताल—सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा मूल वार्षिक रजिस्टर की समस्त प्रविष्टियों का परीक्षण पूर्ववर्ती वार्षिक रजिस्टर और सम्बन्धित क्षेत्र पंजी की और पिछले बन्दोबस्त या अभिलेखों के पुनरीक्षण के दौरान तैयार किये गये अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों से भी मिलान करके किया जायेगा। पायी गयी भूलों और विवादों को सर्वेक्षण प्रपत्र छः में भूल और विवाद की सूची में प्रविष्टि किया जायगा।

19—नियम 18 में विहित रीति से वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण कर लिये जाने के पश्चात् सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों का पूर्ण रूप से सत्यापन किया जायगा यह कार्य ग्रामें में उतने निवासियों की उपस्थिति में जितने को एकत्र करना संभव हो, अभिलेख को पढ़कर और सम्बन्ध खातेदार को इस अभिलेख की प्रत्येक प्रविष्टि को समझा करके किया जायेगा, पायी गई भूलों और विवादों या किये गये दावे को सर्वेक्षण प्रपत्र छः में भूल और विवाद की सूची में प्रविष्टि किया जायगा।

20. नियम 18 और 19 में यथा विहित वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के पश्चात् सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा समस्त गाटों की खेतवार पड़ताल ग्राम के उतने खातेदारों और अन्य निवासियों की उपस्थिति में जितने को एकत्र करना सम्भव हो, किया जायगा और परिणाम को सर्वेक्षण प्रपत्र नौ में, सर्वेक्षण खसरा में लिखा जायगा। पड़ताल के दौरान पायी गयी भूलों और विवादों को सर्वेक्षण प्रपत्र छः में भूल और विवाद की सूची में प्रविष्ट किया जायगा।

21. भू-अभिलेखों की भूलों और विवादों की सूची सर्वेक्षण प्रपत्र- छः में दो भाग में तैयार की जायगी। **भाग एक** लिपिकीय भूल होगी और **भाग दो** में वार्षिक रजिस्टर परीक्षण और सत्यापन के दौरान और खेतवार पड़ताल के दौरान पायी गयी भूल और विवाद होंगे।

22. सर्वेक्षण नायब तहसीलदार वार्षिक रजिस्टर के सर्वेक्षण और सत्यापन के कार्य और खेतवार पड़तालके कार्यकी भी जांच भूल और विवाद की सूचीमें की गयी प्रविष्टियोंमें से 25 प्रतिशत प्रविष्टियों की जांच करेगा। सहायक अभि अधिकारी कार्य की शुद्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न अभिलेखों की प्रविष्टियों में से पर्याप्त संख्या में प्रविष्टियों की जाँच करेगा।

भूलों और विवादों का निस्तारण

23. सर्वेक्षण नायब तहसीलदार सर्वेक्षण प्रपत्र छःके भाग एकमें प्रविष्ट समस्त लिपिकीय भूलों के शोधन के लिए जहाँ आवश्यक हो, ग्राम के पिछले भू-अभिलेखों को देखने के पश्चात् भू-अभिलेखों की भूलों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भ में स्वहस्ताक्षरित आदेश देगा। सर्वेक्षण लेखपाल आदेशों को मूल वार्षिक रजिस्टर के सुसंगत खातों के सम्मुख लिखेगा और सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा अनुप्रमाणित किया जायगा। सर्वेक्षण नायब तहसीलदार भी यह जांच करके समाधान करेगा कि उसके सभी आदेशों को मूल वार्षिक रजिस्टर में सही-सही अभिलिखित किया गया है।

24. (1) सर्वेक्षण लेखपाल नियम 23 में उल्लिखत सर्वेक्षण नायब तहसीलदार का आदेश कार्यान्वित करदिये जानेके पश्चात् मूल वार्षिक रजिस्टरके समस्त जोतके संबंधमें नोटिस को, जिसमें सर्वेक्षण प्रपत्र में खतौनी पर्ची के सुसंगत उद्धरण होंगे। आवश्यक सभी प्रतिलिपियाँ बनायेगा। सर्वेक्षण कानूनगो समस्त नोटिसों की जांच करेगा और सर्वेक्षण नायब तहसीलदार भी

कम से कम 25 प्रतिशत नोटिसों की जाँच उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये करेगा।

(2) सर्वेक्षण नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर से खतौनी पर्ची सहित नोटिस सम्बद्ध खातेदारों और हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जायेगी।

(3) नोटिस एवं खतौनी पर्ची तामील करने का अभिलेख सर्वेक्षण प्रपत्र ग्यारह में खतौनी तेरीज में रखा जायगा।

(4) सरकारी विभागोंकी भूमिके सम्बन्धमें नोटिस जिलामें कार्यालयों के अध्यक्षों को भेजी जायेगी। गाँव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या उसमें निहित भूमि के सम्बन्ध में नोटिस यथास्थिति, गाँव सभा के प्रधान या स्थानीय प्राधिकारी के अध्यक्ष को भेजी जायगी।

(5) किसी खाता की किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई खातेदार या कोई अन्य व्यक्ति नोटिस की तामीली से 21 दिन के भीतर सर्वेक्षण नायब तहसीलदार को आपत्ति करने का कारण बताते हुए उसे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

(6) जारी की गयी नोटिस की कार्यालयी प्रतिलिपिय सामान्य पत्रावली में तब तक रखी जायगीं जब तक कि उन्हें पृथक पत्रावलियों में समाविष्ट न कर दिया जाय।

25. खतौनी पर्चों में की गयी प्रविष्टियों के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियाँ सर्वेक्षण प्रपत्र बारह में मिसिलबन्द रजिस्टर में प्रविष्टि की जायगी।

26. तत्पश्चात् सर्वेक्षण नायब तहसीलदार समस्त विवादों और दावों की (लिपिकीय भूल से भिन्न) और खसौनी पर्चों में की गयी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों की भी, यदि कोई हो, जांच ग्राम में स्वयं करने की कार्यवाही करेगा। धारा 54 के अधीन सुलह के आधार पर विवादों का विनिश्चय करने में, वह सुलह के निबन्धनों को, भूमि प्रबन्धक समिति के कम से कम दो सदस्यों की उपस्थिति में, सर्वेक्षण प्रपत्र छः (भाग दो) में भूल और विवाद की सूची के सुसंगत स्तम्भ में अभिलिखित करेगा। इन निबन्धनों को सम्बद्ध पक्षकारों को पढ़कर सुनाया जायगा और उनका हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान लिया जायगा, भूमि प्रबन्धक समिति के उपस्थित सदस्य भी सुलह के निबन्धनों पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात सर्वेक्षण नायब तहसीलदार सुलह के अनुसार विवादों का विनिश्चय करते हुए सर्वेक्षण प्रपत्र छः के सुसंगत स्तम्भ में आदेश अभिलिखित करेगा और अभिलेख में की जाने वाली संक्षिप्त प्रविष्टियों, को विनिर्दिष्ट करेगा। **सर्वेक्षण नायब तहसीलदार द्वारा कोई एकपक्षीय आदेश या चूक का आदेश या राज्य सरकार की या गाँव सभा में निहित भूमि के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया जायगा।**

(2) सर्वेक्षण नायब तहसीलदार ऐसे मामले को जिनका निस्तारण वह उपनियम (1) के उपबन्ध के अनुसार सुलह के अर्थ में नहीं कर सकता, निस्तारण के लिये सहायक अभिलेख अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा। ऐसा करते समय सर्वेक्षण नायब तहसीलदार, सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा मामलों से निस्तारण के लिये दिनांक और स्थान निर्धारित कर सकता है और उसकी सूचना अपने समक्ष उपस्थित सम्बद्ध पक्षकारों को देगा और अनुपस्थित पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा।

27. (1) सर्वेक्षण नायब तहसीलदार से प्राप्त मामलों को सहायक अभिलेख अधिकारी के कार्यालय में सर्वेक्षण प्रपत्र बारह में मिसिलबन्द रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायगा।

(2) नियम 26 के उपनियम (2) के अधीन निर्धारित दिनांक को या इस प्रयोजन के लिये निर्धारित अनुवर्ती दिनांक को सहायक अभिलेख अधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करेगा और आपत्तियों का विनिश्चय करेगा।

(3) नियम 26 के उपनियम (1) के अधीन दिये गये सर्वेक्षण नायब तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से 21 दिन के भीतर सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है जिसका आदेश, धारा 219 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

(ख) नियम 27 के उपनियम (2) के अधीन सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से **तीस दिन** के भीतर अधिनियम की धारा 210 के अधीन अभिलेख अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

28. सर्वेक्षण लेखपाल मूल वार्षिक रजिस्टर में सर्वेक्षण नायब तहसीलदार, सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेशों को लिखेगा।

29. (1) सहायक अभिलेख अधिकारी नई जोतों पर देय भू-राजस्व की राशि और वर्तमान जोत पर भू-राजस्व की राशि में प्रभाजन या परिवर्तन को, यदि कोई हो, दिखाने के लिये जहाँ यह सर्वेक्षण नायब तहसीलदार सहायक अभिलेख अधिकारी और अभिलेख अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की दृष्टि से आवश्यक हो, सर्वेक्षण प्रपत्र-तेरह में विवरण-पत्र सर्वेक्षण लेखपाल से तैयार करायेगा।

(2) सर्वेक्षण कानूनगो और सर्वेक्षण नायब तहसीलदार द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्र तेरह की प्रविष्टियों की जाँच करने के पश्चात् उसे सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जायगा। जो उसकी परीक्षा करेगा और भू-राजस्व के, यथास्थिति निर्धारित या प्रभाजन या उसमें परिवर्तन के लिये आदेश देगा।

अभिलेखों की स्वच्छ प्रति बनाना

30. पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार जांच समाप्त होने पर अभिलेख अधिकारी निम्नलिखित का स्वच्छ अभिलेख तैयार करायेगा—

(1) ग्राम मानचित्र।
(2) सर्वेक्षण प्रपत्र—सात मेंफर्द मुताबिकत।
(3) सर्वेक्षण प्रपत्र—आठ में खसरा मुताबिकत।
(4) सर्वेक्षण प्रपत्र—चौदह में खसरा।
(5) सर्वेक्षण प्रपत्र—पन्द्रह में पुनरीक्षित खतौनी।
(6) सर्वेक्षण प्रपत्र—सोलह में फर्द चाहत (**Wells** कूप)।
(7) सर्वेक्षण प्रपत्र—सत्रह में फर्द बागात।
(8) सर्वेक्षण प्रपत्र—अट्ठारह में फर्द तूदाजात। (सीमा द्योतक चिह्न)

31—पुनरीक्षित मानचित्र की स्वच्छ प्रतिलिपि बनाना औरउसे पुनः प्रस्तुत करना—

सर्वेक्षण कानूनगो, पुनः सर्वेक्षित या शोधित मानचित्र की, जिसमें अभिलेखों के पुनरीक्षण के दौरान दिये गये आदेशों के अधीन किये गये संशोधन, जहाँ आवश्यक हो, समाविष्ट होंगे, सावधानी से परीक्षा यह देखने के लिए करेगा कि—

(क) वह स्पष्ट है और उसमें कोई भूल नहीं है,

(ख) उसकी सीमा पड़ोसी ग्रामों और आरक्षित वनों की, यदि कोई हो, सीमा से मिलती है;

(ग) उसका सही पुनः संख्यांकन किया गया है।

32—मानचित्र की परीक्षा किये जाने और यदि आवश्यक हो तो उसका शोधन किये जाने के पश्चात् सावधानी से उसका रेखानुरेखण किया जायगा, उसका मिलान और उसकी जाँच की जायगी और तत्पश्चात् अभिलेख अधिकारी या सहायक अभिलेख अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करेगा और दिनांक डालेगा, जिसका पदनाम इस रूप में उसके हस्ताक्षर के नीचे लिखा जायगा।

33—सहायक अभिलेख अधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि पुनरीक्षित मानचित्र को पुनः यांत्रिक प्रक्रिया से बनाया जायगा या हाथ से बनाया जाय। ग्राम मानचित्र का प्रथम रेखानुरेखण मानक आकार (28" × 20") के पत्रक पर किया जायगा जिसमें एक इंच माप का हाशिया होगा। यांत्रिक प्रतिरूप बनाने के लिए दो या अधिक छोटे मानचित्रों को एक पत्रक पर, उसे मोटी रेखा में अनेक आयतों में विभाजित करने के पश्चात् अनुरेखित किया जायगा। सीमांत भूखण्डों का रेखानुरेखण यथासम्भव, मुख्य मानचित्र वाले पत्रक पर किया जायगा। मानचित्र का शीर्षक यह भी बतायेगा कि यह पुनः सर्वेक्षण के पश्चात् या साधारण मानचित्र शोधन के पश्चात तैयार किया गया था।

34—(1) जब हाथ द्वारा प्रतिलिपियों का रेखानुरेखण कर लिया जाय, तब प्रथम प्रतिलिपि के आलावा दो और प्रतिलिपियों का रेखानुरेखण किया जायगा।

(2) जब यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मानचित्र पुनः बनाये जायें, तब निम्नलिखित संख्या में प्रतिलिपियाँ बनाई जायेंगी :—

[क] राजस्व और भू-अभिलेख के प्रयोजनों के लिए दो नीले नक्शे, वस्त्र पर बनी छः प्रतिलिपियाँ और कागज पर बनी चार प्रतिलिपियाँ,

[ख] अन्य विभागों, खातेदारों और जनता को विक्रय के लिए—वस्त्र पर बने मानचित्र की चार या अधिक प्रतिलिपियाँ, यदि सहायक अभिलेख अधिकारी वास्तव में माँगी सभी प्रतिलिपियों के अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करने के पश्चात् ऐसा विनिश्चय करे।

35—पुनरीक्षित अभिलेखों का स्वच्छ लेखन—सर्वेक्षण लेखपाल द्वारा अभिलेखों के पुनरीक्षण के दौरान तैयार किये गये अभिलेखों की सहायता से पुनरीक्षित अभिलेख का स्वच्छ लेखन दो प्रतियों में किया जायगा। सर्वेक्षण कानूनगो इन समस्त अभिलेखों की सावधानी से जाँच करेगा और सर्वेक्षण नायब तहसीलदार इन समस्त अभिलेखों की 25 प्रतिशत प्रविष्टियों की जाँच करेगा और सहायक अभिलेख अधिकारी भी 5 प्रतिशत प्रविष्टियों की जाँच करेगा।

36—स्वच्छ अभिलेखों में समस्त काटपीट और उपरिलेखन पर ऐसे काट-पीट और उपरिलेखन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और दिनांक डाला जायगा। कुछ भी मिटाया नहीं जायगा। स्वच्छ अभिलेख की समस्त काट-पीट और उपरिलेखन सर्वेक्षण पपत्र-उन्नीस में अशुद्धि सूची में प्रविष्ट किये जायेंगे। यह सूची सर्वेक्षण लेखपाल द्वारा तैयार की जायगी और सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा अनुप्रमाणित (Attested) की जायगी। इस पर सर्वेक्षण नायब तहसीलदार द्वारा भी हस्ताक्षर किया जायगा।

37. पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार तैयार किये गये पुनरीक्षित अभिलेख की जिल्दबन्दी की जायगी और वह ग्राम मानचित्र सहित अभिलेख क्रिया का ग्रन्थ कहलायेगा। ऐसे दो ग्रन्थ

तैयार किये जायेंगे। इनमें से एक ग्रन्थ कलेक्टर के अभिलेखागार में भेज दिया जायगा, और दूसरा लेखपाल को दिये जाने के लिए तहसीलदार को भेजा जायगा।

38. जिले में या जिले के किसी भाग में सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया की समाप्ति पर सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा अभिलेख अधिकारी के माध्यम से भू-भाग के मानचित्र के साथ अन्तिम रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत की जायगी। रिपोर्ट में क्रिया से सम्बन्धित समस्त सुसंगत विषयों अर्थात् क्रिया का प्रयोजन, भू-भाग का संक्षिप्त विवरण, लागू की गई रीति, ग्रामों की संख्या, अन्तर्ग्रस्त क्षेत्र और गाटा, लिया गया समय, कठिनाईयाँ जो आई और अन्य विशेष बातों का स्पष्ट रूप से और संक्षेप में समावेश किया जायगा।

39. परिषद् की सिफारिश पर, राज्य सरकार धारा 48 के अधीन अधिसूचना जारी कर सकती है जिसमें क्रियायें बन्द किये जाने की घोषणा की जायगी। इस अधिसूचना के जारी होने पर भू-अभिलेख के अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य जिले के कलेक्टर को अन्तरित हो जायगा।

आज्ञा से,

कमल पाण्डे, सचिव।

सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रपत्र

सर्वेक्षण प्रपत्र—एक [नियम 4 (1) देखिये]

ग्राम..... ; परगना..... ; तहसील..... ; जिला.....

क्रम संख्या	बन्दोबस्ती गाटों की कुल संख्या	गाटों का विभाजन: मूल गाटा/क्षेत्रफल की खसरा संख्या	गाटों का विभाजन: विभाजन की संख्या	गाटों का मिलाया जाना: मूल गाटा/क्षेत्रफल की खसरा संख्या	गाटों का मिलाया जाना: नये गाटों की संख्या
1	2	3	4	5	6

आकार में परिवर्तन गाटा/क्षेत्रफल की खसरा संख्या	परिवर्तन द्वारा प्रभावित गाटों की कुल संख्या	परिवर्तन का प्रतिशत: स्तम्भ 8 × 100 / स्तम्भ 2	अभ्युक्ति
7	8	9	10

सर्वेक्षण प्रपत्र—दो [नियम 4 (3) और 4 (4) देखिये]

तहसील..... जिला.....

1. क्रम संख्या, 2. ग्राम का नाम, 3. ग्राम का कुल क्षेत्रफल, 4. बन्दोबस्ती गाटा की कुल संख्या/क्षेत्रफल, 5. गाटों के विभाजन से प्रभावित गाटों की संख्या/क्षेत्रफल 6. गाटों को मिलाने से प्रभावित गाटों की संख्या/क्षेत्रफल, 7. आकार में परिवर्तन द्वारा प्रभावित गाटों की संख्या/क्षेत्रफल, 8. परिवर्तन द्वारा प्रभावित गाटों की कुल संख्या/क्षेत्रफल, 9. परिवर्तन का प्रतिशत, 10. पुनः सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल और इसकी लगभग सीमा, 11. अभ्युक्ति।